

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 66/2024
दायर दिनांक :- 20.06.2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/323
निर्णय दिनांक :- 20.01.2025

1. भंवरलाल बिश्नोई पुत्र मालाराम जाति बिश्नोई निवासी विशनावास तह. लोहावट जिला फलोदी वादी.....

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955


उपरिथत :- 1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

--: निर्णय ::--

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि ग्राम लुक्कुपुरा उर्फ असरफनगर पटवार हल्का चारणाई तहसील बाप के खसरा नम्बर 343/298 रकबा 12.8690 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर वादी का कब्जा व काश्त आज दिन तक शांतिपूर्वक लगातार चला आ रहा है। जमाबंदी सम्वत 2076-2079 संलग्न वाद पेश है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम भंवरलाल बिश्नोई पुत्र मालाराम है इसी नाम से ही वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि बने हुवे है तथा वादी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है लेकिन तत्कालीन पटवारी हल्का ने उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम सरासर गलत तरीके से एवं अपन मनमर्जी से भंवरलाल बिश्नोई पुत्र मालाराम के स्थान पर भंवरूराम पुत्र मालाराम दर्ज कर दिया है जो सरासर गलत है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी का नाम भंवरूराम पुत्र मालाराम दर्ज होने से वादी को के.सी.सी ऋण प्राप्त करने व अन्य कृषि संबंधित कार्य करने में भंयकर समस्याओं का सामना पड़ रहा है। वादी ने दिनांक 01.06.2024 को अपना नाम सही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रतवादी के समक्ष प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी ने वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरुस्त करने से मना कर दिया तथा समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने को कहा, इसलिये वादी ग्राम देदासरी व निजामदीन की बस्ती के उपरोक्त वर्णित खसरान् में दर्ज अपने गलत नाम भंवरूराम पुत्र मालाराम के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम भंवरलाल बिश्नोई पुत्र मालाराम के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगोदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया


सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि वादी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में भंवरराम पुत्र मालाराम दर्ज है जबकि वादी के पहचान संबंधित दस्तावेजात में भंवरलाल बिश्नोई पुत्र मालाराम के नाम से बने हुये है। इसलिये वादी का नाम भंवरराम पुत्र मालाराम के स्थान पर भंवरलाल बिश्नोई पुत्र मालाराम साक्ष्य सुनवाई की जाकर दर्ज किया जाता है तो कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी की ओर से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। वादी बयान पी.डब्लू-1 कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2076-2079 ग्राम लुक्कुपुरा उर्फ असरफनगर पटवार हल्का चारणाई तहसील बाप के खसरा नम्बर 343/298 रकबा 12.8690 हैक्टेयर स्थित है। वादी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में भंवरराम पुत्र मालाराम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, जन आधार, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि से साबित है कि वादी का नाम भंवरलाल बिश्नोई पुत्र मालाराम है। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम लुक्कुपुरा उर्फ असरफनगर पटवार हल्का चारणाई तहसील बाप के खसरा नम्बर 343/298 रकबा 12.8690 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकॉर्ड में गलत दर्ज नाम भंवरराम पुत्र मालाराम के स्थान पर भंवरलाल बिश्नोई पुत्र मालाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करे। डिक्की पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



20/01/25
(सुरवाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
बाप (फलोदी)
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप
बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. भंवरलाल बिश्नोई पुत्र मालाराम जाति बिश्नोई निवासी बिश्नावास तह. लोहावट जिला फलोदी वादी.....

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :- 66 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर मदनसिंह भाटी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम लुक्कुपुरा उर्फ असरफनगर पटवार हल्का चारणाई तहसील बाप के खसरा नम्बर 343/298 रकबा 12.8690 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम भंवरराम पुत्र मालाराम के स्थान पर भंवरलाल बिश्नोई पुत्र मालाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना करे। नीचे

मुतालिक

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक

बाबत्

फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.01.2025 को जारी की गई।



(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
20/01/25
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी) बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत् इजराय हुकमनामा		
बाबत् इजराय हुकमनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।